



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273093
CG-DL-E-03062026-273093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2700]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2700]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2793(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1966(E) तारीख 20/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालापल्ली जिले में NH-353C के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 92.000 तक के भूखण्डके निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/ 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.04.2026" को "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) और " ध हान्स इंडिया" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में NH-353C के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 92.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: जयशंकर भूपालापल्ली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (भूपालपल्ली)					
गांव का नाम: मोरांचापल्ली एच/ओ एसएम कोथापल्ली					
1	सरकारी	सरकारी	ओल्ड आर्&बी रोड	0.0303525	ओल्ड आर्&बी रोड
2	सरकारी	सरकारी	वागू (मोरांचा) (इरिगेशन डिपार्टमेंट)	0.0101175	वागू (मोरांचा) इरिगेशन डिपार्टमेंट
तालुक का नाम: घनपुर (मुलुग)					
गांव का नाम: चेलपुर					
3	१०५०	निजी	कृषि (आर्द्र)	0.0550396	कर्ण राजी रेड्डी सॉन ऑफ नारायण रेड्डी
4	१०६१	निजी	कृषि (आर्द्र)	0.0293525	चिदरपु लक्ष्मीनारायण सोन ओएफ लिंगय्या
5	१०६२	निजी	कृषि (आर्द्र)	0.0145089	पनुकते लक्ष्मी वाइफ ऑफ. नारायणा
6	१०६५	निजी	कृषि (आर्द्र)	0.0014295	दसरपु संमैया सॉन ऑफ लक्माय्या
तालुक का नाम: (रेगोण्डा)					
गांव का नाम: भगीरथपेटा					
7	३००	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	0.0116519	गंदरा हरी प्रसाद राओ सोन ओएफ अशोक राओ
गांव का नाम: रमणगुडेम					

8	७६७	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	0.0083615	नल्लेला सथीश सोन ओएफ समबैया
9	७८२	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	0.0055188	श्रीपति रमेश सोन ओएफ नरसैया
10	७८३	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	0.0000309	रचरला सत्यम साँन ऑफ़ मल्लय्या
11	७८३	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	0.0000310	रचरला भार्गव साँन ऑफ़ शंकरायया
Total				0.1663946	

[फा. सं. DB/D1/EE/R&B/NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3D1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2793(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1966(E) Dated:20/04/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening/ two lane with paved shoulder/ four laning. etc.,), maintenance, management and operation of NH-353C in the stretch of land from Km. 67.000 to Km. 92,000 in the district of JAYASHANKAR BHUPALPALLY in the state of TELANGANA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Hans India**” (English) and “**Namaste Telangana**” (Telugu) daily newspapers, both dated **24/04/2026**, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-353C in the stretch of land from Km. 67.000 to Km. 92.000 in the district of JAYASHANKAR BHUPALPALLY in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: JAYASHANKAR BHUPALPALLY		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhupalpally					
Village: Moranchapally H/o SM Kothapally					
1	Govt	Government	Old R&B road	0.0303525	Old R&B Road
2	Govt	Government	vagu (Morancha) (Irrigation department)	0.0101175	Vagu (Morancha) Irrigation Department
Taluk: Ghanpur(Mulug)					
Village: Chelpur					
3	1050	Private	Agriculture (wet)	0.0550396	Karra Raji Reddy son of Narayan Reddy
4	1061	Private	Agriculture (wet)	0.0293525	Chidarapu Laxminarayana son of lingaiah
5	1062	Private	Agriculture (wet)	0.0145089	Panukate laxmi wife of Narayana
6	1065	Private	Agriculture (wet)	0.0014295	Dasarapu sammaiah son of laxmaiah
Taluk: Regonda					
Village: Bhagirthpeta					
7	300	Private	Agriculture (Dry)	0.0116519	Gandra Hari Prasad Rao Son of Ashok Rao
Village: Ramannagudem					
8	767	Private	Agriculture (Dry)	0.0083615	Nallela Sathish son of sambaiah
9	782	Private	Agriculture (Dry)	0.0055188	Sripathi Ramesh son of Narsaiah
10	783	Private	Agriculture (Dry)	0.0000309	Racharla satyam son of mallaiah
11	783	Private	Agriculture (Dry)	0.0000310	Racharla Bhargav son of shankaraiah
Total				0.1663946	

[F. No. DB/D1/EE/R&B/NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3D1]
SHAIKH AMINKHAN, Director